[श्रीमती कृष्ण साही]

नहीं जा सकता । पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का लखीसराय एक्सचेंज और इस के एम्पलाइज के लिये अपना भवन नहीं है । इसी कारण स्वचालित केन्द्र की स्थापना में कठिनाई है । टेलीग्राम भेजने की जो पुरानी पद्धति 50 वर्षों से चली आ रही है, वही पद्धति वर्तमान में भी चली आ रही है । अतः सरकार से निवेदन है कि पोस्ट आफिस एवं टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की कम्बाईण्ड बिल्डिंग बनाई जाये । जिस में पोस्ट आफिस और टेलीफोन केन्द्र दोनों की स्थापना की जा सके । जब तक कम्बाइण्ड बिल्डिंग वहां नहीं बन सकेगी तब तक न तो वहां हस्तचालित टलीफोन पद्धति स्वचालित पद्धति में बदली जा सकती है और न ही टेलीग्राम भेजने की पुरानी पद्धति की जगह नई पद्धति टेलीप्रिन्टर की स्थापना की जा सकती है । अतः इस विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

(iv) NEED FOR BANNING EMPLOYMENT OF CHILDREN IN FACTORIES.

श्री चन्द्रपाल शेलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष, महोदय, भारतीय संविधान में बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराने का निषेध किया गया है । भारत में कम से कम 2 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को बाध्य हैं । ये अधिकांश बच्चे निर्धन परिवारों के होते हैं । हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चाय बागान, माचिस फैक्टरी, हथकरघा कालीन एवं मत्स्य उद्योग, होटलों, रेस्तरां मरम्मत की दुकानों तथा कृषि जैसे निजी क्षेत्रों में ही मुख्य तौर पर बाल मजदूरों को नियुक्त किय जाता है । एक सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों और विशषेकर चाय, बागानों, कालीन उद्योग और होटलों में बहुत अधिक शोषण होता है । बाल मजदूरों को प्रातः 5 बजे से रात्रि के 1 बजे तक काम करन पड़ता है । उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है, अर्थात् 25 रुपये प्रति माह । इसके अलावा बाल मजदूरों को जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार उन्हें खतरनाक रसायनों से काम करना पड़ता है । कारखाना अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की इन कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता और 14 से 15 वर्ष के बच्चों को पूरी डाक्टरी जांच के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु इस कानून का पालन नहीं किया जाता । लगभग 20,000 बच्चे केरल के कोयलर के आठ बड़े मत्स्य संसाधन संयंत्रों में काम करते हैं । उन्हे दस किलो मछली छीलने पर पन्नास पैसे दिये जाते हैं जबकि उन्हें सुबह चार बज से लेकर सायं सात बजे तक काम करन पड़ता है । बाल मजदूरों को खानों में भी काम करना पड़ता है । लड़कियों को भी नियुक्त किया जाता है । मेघालय की नीजी खानों में लगभग 28,000 बच्चे काम करते हैं । बम्बई में 14 वर्ष से कम आयु के 80,000 बच्चों को 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या की गंभीरता को समझे तथा इसके समाधान के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाये ।

(v) BEATING UP OF LAWYERS, EMPLOYEES AND GENERAL PUBLIC BY POLICE AFTER ENTERING COURTS IN AZAMGARH, UP.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, 25 जनवरी, 1983, को आजमगढ़ में पुलिस ने दीवानी न्याया-